



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र. (पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)
वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>
दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859
फैक्स नं. - 0755-2462136
No: 1742 / SEIAA/2022
Date: 29-9-22

प्रति,

सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC),
अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.) - 462016(म.प्र.)

विषय: प्रकरण क्रमांक 8663/2021 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के.जी. डेवलेवर्स, अधिकृत व्यक्ति श्री आशीष खरया, सी-99, न्यू मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के. रोड, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 96480 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.360 हेक्टेयर, खसरा 75/78, 37/77, ग्राम मानपुर, तहसील व जिला अनूपपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) की 714वीं बैठक दिनांक 24.03.2022 के निर्णय उपरांत SEIAA की 747वीं बैठक दिनांक 14.09.2022 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 560वीं बैठक दिनांक 12.03.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guideline 2016 & Enforcement and monitoring guideline for sand 2020 के अनुसार एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के ओ.ए. नम्बर 456/2018, 726/2018 के आदेश दिनांक 04.11.2020 व माननीय उच्चतम न्यायालय के अपील क्र. 3661/2020 के आदेश दिनांक 10.11.2021 एवं माननीय एनजीटी (विशेष पीठ) के आदेश दिनांक 22.02.2022 में दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिलों की नवीन (अपडेटेड) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का SEAC द्वारा परीक्षण एवं SEIAA के अनुमोदन पश्चात् प्रकरणों पर विचार किया जाना संभव होगा, अतः वर्तमान में प्रकरण Delist किया जावे। यह प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत प्रकरण Relist होने पर निर्णय लिया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक के ई.मेल दिनांक 08.09.2022 के माध्यम से प्रकरण को Relist किये जाने एवं पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रकरण को Relist किया जाये एवं अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पुनः परीक्षण हेतु SEAC को प्रेषित किया जाये तथा परियोजना प्रस्तावक व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय अनुसार प्रकरण को Relist किया जाता है एवं प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर अग्रेषित है।

(श्रीमती सुक्ला)
सदस्य सचिव

पृ.क्र. 1743 /SEIAA/2022

दिनांक - 29-9-22

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (सेक), अनुसंधान एवं विकास विंग, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
3. सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी, भोपाल - 462016।
4. कलेक्टर, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
5. वनमंडलाधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
6. आई.ए. डिवीसन, निगरानी प्रकोष्ठ, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली - 110003।
7. निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिमी क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन, लिंक रोड नं. 03, रवि शंकर नगर, भोपाल - 462016।
8. निदेशक, भौमिकी तथा खनिकर्म मध्यप्रदेश, 29-ए, खनिज भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462002।
9. खनिज अधिकारी, जिला अनूपपुर (म.प्र.)
10. परियोजना प्रस्तावक मेसर्स के.जी. डेवलपर्स, अधिकृत व्यक्ति, श्री आशीष खरया, निवासी सी-99, न्यू मिनाल रेसीडेन्सी, जे.के. रोड, जिला भोपाल (म.प्र.)
11. संबंधित फाइल।

(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी